भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल

Website: www.bsgmp.net mail: scoutguide_bpl@dataone phone 2661263,fax:2737446

क्रमाक/7465/रा.मु/पंजीयन /2014 भोपाल दिनांक 5-4-14

प्रति

आयुक्त,
आदिवासी विकास
सतपुडा भवन भोपाल

विषय— स्काउट/गाइड निधि की प्राथमिक/माध्यमिक शाला में लंबित जमा राशि राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजने विषयक ।

सदर्भ— इस कार्यालय का प्रत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक 3235 भोपाल दिनांक 14.08.13 के अनुक्रम में ।

---000---

विषयांकित के संबंध में अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 03 से 12 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं से स्काउट—गाइड अभिदान दरे निर्धारित कर शाला स्तर पर प्रत्येक छात्र—छात्राओं से प्रतिवर्ष लेने के आदेश जारी किये गये थे जिनके पालन में संस्था स्तर पर स्काउट—गाइड शुल्क एकत्र की जानी है लेकिन मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पत्र क्रमांक /प्र.स./स्कू.शि./आर.टी.आई./2010/64 दिनांक 20.03.2010 द्वारा शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 8 वीं तक के बच्चों से शुल्क की राशि सभी बच्चों से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संस्था स्तर पर व्यय की जाती रही है :—

01— दल पंजीयन पर व्यय किया जाता है साथ ही इस राशि को राष्ट्रीय मुख्यालय से मान्यता प्राप्त करने हेतु राशि भेजनी पड़ती है ।

02— स्काउट — गाइड/कब—बुलबुल के स्काउट/गाइड संबंध प्रशिक्षण पर व्यय ।

03— स्काउट— गाइड की स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के शिविरों पर व्यय ।

04— स्काउटर—गाइडर के प्रशिक्षण पर व्यय ।

05—.स्काउट/गाइड/कब/बुलबुल यूनीफार्म पर व्यय।

लेकिन अनेक प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उक्त मदों में स्काउट — गाइड निधि की राशि का व्यय नही किया गया और संस्था स्तर पर पूर्व में स्काउट—गाइड शुल्क की शेष राशि आज भी लंबित है । उक्त लंबित राशि का उपयोग शला स्तर पर अन्य मदों में किया जा रहा है, जो उचित नही है नियम विरुद्व है । प्राथमिक/माध्यमिक शाला स्तर पर स्काउट — गाइड निधि की शेष राशि को राज्य मुख्यालय भारत स्काउट — गाइड मध्यप्रदेश भोपाल में का निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि इस राशि से प्राथमिक शालाओं में कब, बुलबुल एवं माध्यमिक शालाओं में स्काउट — गाइड की यूनिफार्म एवं गतिविधियां सम्पन्न कराई जा सके, ताकि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बच्चों का स्काउट—गाइड एडवांसमेंट हो सके शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक में स्काउट—गाइड गतिविधियां प्रारंभ की जा सके । इस संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ.73—143/95/ई—5/20 भोपाल, दिनांक 26.11.99 है, जिसकी छाया प्रति सलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है ।

सलग्न :— आदेश की छाया प्रति ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ.क्रमाक/7466/रा.मु/पंजीयन/2014 भोपाल दिनांक/5/4/14

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01— निज सचिव माननीय आदिवासी विकास मंत्री बल्लभ भवन भोपाल

02— उपायुक्त आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय..............................म.प्र.

03— सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कार्यालय.........................म.प्र.

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र

संशोधित निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/पी/शुल्क/2011/123 भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2011

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (संभागीय)
मध्यप्रदेश।

2. जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-समस्त (म.प्र.)।

विषय:- **शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क के संबंध में संशोधित-निर्देश।**

संदर्भ:- 1 लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. क्रमांक--विद्या/पी/2006/1257, दिनांक 3-8-06

2. -"- विद्या/पी/शुल्क/2011/92, दिनांक 4 मार्च, 2011।

3. -"- विद्या/पी/शुल्क/2011/93-94, दिनांक 8 मार्च 2011।

विषयान्तर्गत विभागीय निर्देशों के पालन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठयेतर गतिविधियों के संचालन हेतु स्थानीय शुल्क लिया जाता है। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विद्यालयों में विभिन्न स्थानीय शुल्क नियम विपरीत वसूल की जा रही है।

प्रदेश की शालाओं में शुल्कों की एकरूपता बनाये रखने के लिए विभागीय निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार स्थानीय शुल्क लेने हेतु पूर्व से निर्देश हैं जिसके संबंध में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा अवगत कराया गया था।

2. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प्र.स./स्कू.शि./आर.टी.ई./2010/84 भोपाल, दिनांक 10-03-2010 द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा (1 से 8 तक) के छात्र-छात्राओं से कोई भी फीस अथवा शुल्क लेने संबंधी समस्त निर्देश निरस्त/निष्प्रभावी घोषित किये गये हैं।

3. अतः बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लिखित शासन निर्देश के अनुक्रम में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों के संकलित विवरण में से मिडिल स्कूलों के शुल्क एवं क्रीड़ा पंजीयन संबंधी निर्देश विलोपित माने जायेंगे।

संशोधित विवरण निम्नानुसार होगा :-

स. क्र.	शुल्क का विवरण	हाई रुपये	2 उ.मा. विद्यालय रुपये	शासनादेश
1.	विज्ञान शुल्क	30.00 प्रतिवर्ष	50.00 प्रतिवर्ष	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश- (1) क्र/एफ-73/6/95/20-2, भोपाल, दिनांक 21-12-95

स.क्र.	शुल्क का विवरण रुपये	माध्यमिक	हाई	+2 उ.मा. विद्यालय	शासनादेश
2.	क्रीड़ा	-	30.00 प्रतिवर्ष	50.00 प्रतिवर्ष	क्र. एफ-73/5/95/बी-2/20, भोपाल, दि. 28-9-95
3.	क्रीड़ा पंजीयन	1.00 प्रतिवर्ष	2.00 प्रतिवर्ष	2.00 प्रतिवर्ष	क्र. एफ-73/6/95/20-2, भोपाल, दि. 21-12-95
4.	स्काउट/गाईड	8.00 प्रतिवर्ष	10.00 प्रतिवर्ष	10.00 प्रतिवर्ष	क्र. एफ-73-143/95/ई-5/20, भोपाल, दिनांक 27-12-95
5.	रेडक्रास	10.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र. एफ-73-11/99/20-2, भोपाल, दिनांक 26-11-99
6.	क्रियाकलाप	15.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र./एफ-73/6/95/20-2, भोपाल, दिनांक 21-12-95

उक्त विवरण अनुसार राशियों का शाला, विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर वितरण पूर्वानुसार इस प्रकार रहेगा :-

स.क्र.	शुल्क का विवरण	शाला	विकासखंड	जिला	संभाग	राज्य
1.	विज्ञान शुल्क	100 प्रतिशत	—	—	—	—
2.	क्रीड़ा	45 प्रतिशत	10 प्रतिशत	45 प्रतिशत	जिले का अंश का 20 प्रतिशत	—
3.	क्रीड़ा पंजीयन	45 प्रतिशत	10 प्रतिशत	45 प्रतिशत	जिले का अंश का 20 प्रतिशत	—
4.	स्काउट/गाईड	95 प्रतिशत	—	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	3 प्रतिशत
5.	रेडक्रास	70 प्रतिशत	—	10 प्रतिशत जूनियर रेडक्रास	—	20 प्रतिशत
6.	क्रियाकलाप	100 प्रतिशत	—	—	—	—

शाला विकास शुल्क के लिये पूर्ववतः पालक शिक्षक संघ अधिकृत रहेंगे।

टीप :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा स्थानीय परीक्षाओं के लिए शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

हस्ता./-

(एल.एस. बघेल)

आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 73/143/95 ई-5/20, भोपाल दिनांक 27-12-95 तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च, 96 अनुसार प्राथमिक शाला (तीसरी से पांचवीं तक) 20 पैसे प्रतिमाह अभिदान की दरें निर्धारित हैं।